प्रकरण संख्या 83/2016 RCMS ID-2016/00074 ता0रजू 28.11.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. राजाराम आयु 35 साल
2. भाग्यसिंह आयु 23 साल } पुत्रान् हरमनसिंह
3. सुखवीर आयु 28 साल

4. श्रीमति केशपती देवी पत्नि फतेहराम आयु 53 साल
5. श्रीमति द्रोपति देवी पत्नि गोपीराम आयु 50 साल } जातियान गुर्जर निवासीयान तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली (राज0)
6. श्रीमति केशो देवी पत्नि गोविन्दा आयु 33 साल

— अपीलाण्ट्स

बनाम

1. गयाबाई पुत्री चिम्मन आयु 59 साल जाति गुर्जर निवासी पहाडी तहसील व जिला करौली पत्नि रामजीलाल हाल निवासी ककडा तहसील नादौती जिला करौली (राज0)
2. ग्राम पंचायत गुडला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुडला तहसील जिला करौली
3. रामेश्वर आयु 42 साल
4. शिवराज आयु 44 साल } पि. चिम्मन जाति गुर्जर निवासी पहाड़ी तहसील व जिला करौली
5. दयाल पुत्र चिम्मन (मृतक)

5/1 छोटू आयु 16 साल
5/2 भोलू आयु 14 साल } पुत्रान दयाल नाबालिगान जरिये संरक्षक माता रसाल पत्नि दयाल जातियान गुर्जर निवासीयान पहाडी तहसील करौली
5/3 पुस्कर आयु 6 साल

5/4 रसाल पत्नि दयाल जाति गुर्जर निवासी पहाडी तहसील व जिला करौली

6. रामवीर पुत्र चिम्मन आयु 36 साल } जातियान गुर्जर निवासी पहाडी तहसील व जिला करौली (राज0)
7. शान्ति बेवा चिम्मन आयु 74 साल
8. विमला पुत्री चिम्मन पत्नि भैरो आयु 42 साल जाति गुर्जर निवासी नांगल तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)
9. हल्ला पुत्री चिम्मन पत्नि राजकुमार आयु 37 साल जाति गुर्जर निवासी नागाओ की छावनी तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. विक्रम आयु 29 साल
11. बाबू आयु 27 साल } पुत्रान धनपाल जाति गुर्जर निवासी नागाओं की छाबनी तहसील हिण्डौन जिला करौली
12. नेपाल आयु 24 साल

— रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 28.09.2016 न्यायालय तहसीलदार करौली मुकदमा उनवानी गयाबाई बनाम रामेश्वर वगै0 मुकदमा नं. 08/2016 जिसकी रूह से नामांतरकरण सं0 278 निरस्त कर मृतक चिम्मन की पुनः विरासत नामांतरकरण करने का आदेश दिया है के विरूद्ध तहत धारा 75 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार करौली द्वारा मुकदमा नं. 08/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2016 जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 278 को निरस्त किया गया है, के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 28.09.2016 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरविट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 28.09.2016 जैर अपील नामांतरकरण संख्या 278 दिनांक 08.07.2001 से संबंधित आराजीयात् में से आराजीयात् खसरा नंबर 386 लगायत 390, 396, 399 ग्राम बल्लूपुरा तहसील करौली का 2/3 हिस्सा दिनांक 26.08.2005 को 200000/—रूपयों में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र रेस्पोण्डेण्ट संख्या 3 व 4 एवं 5/1 लगायत 5/4 के पिता व पति दयाल एवं रेस्पोण्डेण्ट संख्या 6 व 7 से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर किया है और अपीलाण्ट्स यौम खरीद दिवस से खरीदशुदा आराजीयात् पर बतौर खातेदार, काश्तकार काबिज है जिसकी रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 ता 12 को पूर्ण जानकारी व ज्ञान दायरी अपील दिवस से ही रही है फिर भी रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 गयाबाई ने जानबूझकर अपील नामांतरकरण जैर अपील निर्णय में अपीलाण्ट खरीद्दारान को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है और जैर अपील निर्णय रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 ता 12 ने अपीलाण्ट्स से छिपाते हुये एवं रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 ता 12 ने आपस में साजकर विधि विरूद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय को धोखा देकर पारित कराया है जो कपटपूर्ण है, विधि विरूद्ध है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं इस निर्णय से अपीलाण्ट व्यथित है और उक्त निर्णय से अपीलाण्ट्स के हक हकूक प्रभावित हो रहे है। विवादित आराजीयात् रेस्पोण्डेण्ट नंबर 1 व 3 ता 12 के पितामह व परपितामह रामफूल पुत्र नानगा के खातेदारी में 2/3 हिस्सा रहा है और रामफूल की मृत्यु के बाद रामफूल की पत्नि गुलाब कौर के खातेदारी में भूमि आई है और गुलाब कौर के मरने के बाद चिम्मन पुत्र रामफूल पिता व नाना रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1, 3 ता 12 के खातेदारी में भूमि आई है और चिम्मन के मरने के बाद उसके पुत्रगण रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 3, 4, 6 एवं रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 5 मृतक दयाल एवं चिम्मन की पत्नि रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 7 शान्ति पत्नि स्व0 चिम्मन के खातेदारी में आई है जो सही व विधिवत तौर पर आई है क्योंकि रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 व 8 एवं चिम्मन पुत्री कसीरा का कोई हक हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजीयात् जैर अपील नामांतरकरण में नही है क्योंकि वह चिम्मन के जीवनकाल में ही शादी होकर अपनी ससुराल में रहती चली आ रही है और संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नही होते है क्योंकि चिम्मन व उसके पिता रामफूल है जो जमाबंदी व जैर अपील नामांतरकरण संख्या 278 से भी स्पष्ट है। चिम्मन का स्वर्गवास दिनांक 08.07.2001 से पूर्व हो चुका है। यह रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 ता 12 का स्वीकृत तथ्य है। रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 ता 12 ने निर्णय दिनांक 28.09.2016 के सबब राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज दर्ज करा लिये है और उक्त अवैध राजस्व इन्द्राज के सबब विवादित आराजीयात् जैर अपील नामांतरकरण का रहन, वय करने पर तुले हुये है। यदि दौराने अपील रेस्पोण्डेण्ट्स ने विवादित आराजीयात् को रहन, वय कर दिया तो अपीलाण्ट्स का अपील पेश करने का मकसद फौत हो जावेगा एवं बेवहजह मुकदमेबाजी बढ़ेंगी। इसलिये अपीलाण्ट्स निर्णय दिनांक 28.09.2016 की क्रियान्विति स्थगित कर स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी है। वयनामा दिनांक 26.08.2005 जो अपीलाण्ट्स के हक में पंजीकृत हुआ है उसकी जानकारी रेस्पोण्डेण्ट को है। उक्त निर्णय अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किय जाने योग्य है। अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय दिनांक 28.09.2016 की जानकारी दिनांक 19.10.2016 को पटवारी हल्का गुडला से नकल जमाबंदी सम्वत 2069—72 की लेने पर एवं 02.11.

2016 को नकल निर्णय दिनांक 27.06.2016 का आवेदन कर दिनांक 04.11.2016 को नकल निर्णय प्राप्त होने पर एवं 02.11.2016 को ही निर्णय दिनांक 28.09.2016 का आवेदन कर दिनांक 10.11.2016 को नकल निर्णय प्राप्त होने पर जैर अपील निर्णय की जानकारी हुयी है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर निर्णय की जानकारी नही रही है। दिनांक 28.09.2016 से दिनांक 10.11.2016 तक का समय जानकारी के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाये जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट ने बहस में कथन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 28.09.2016 न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 27.06.2016 की पालना में पारित किया गया है जो विधिवत् है। रेस्पोण्डेण्ट्स चिम्मन के विधिक वारिसान हैं। अपीलाण्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 27.06.2016 के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में भी अपील कर रखी है जहां से अपीलाण्ट के आवेदन पर ही मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जब तक न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में विचाराधीन प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाता तब तक मौका व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 27.06.2016 जब तक निरस्त नहीं हो जाता तब तक न्यायालय तहसीलदार करौली का विवादित आदेश दिनांक 28.09.2016 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह नामांतरकरण अपील चलने योग्य नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी के 2/3 हिस्से को रेस्पोण्डेण्ट संख्या 3,4,6,7 व रेस्पोण्डेण्ट संख्या 5/1 ता 5/4 के पिता व पति से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2005 को क्रय करना जाहिर किया गया है जिससे विवादित आराजी में अपीलाण्ट्स के हक भी निहित हो गये हैं। विवादित आदेश संबंधी प्रकरण में रेस्पोण्डेण्ट्स द्वारा अपीलाण्ट्स क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे ऐसा विदित होता है कि विक्रेता रेस्पोण्डेण्ट्स के मन में दुर्भावना पैदा हो गई है। अतः हम अपील, अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली का आदेश दिनांक 28.09.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: